सचिका स0–03004-07/2024-CST. – 77 (7)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा मे,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

द्वारा– **आंतरिक वित्तीय सलाहकार।**

पटना, दिनाक– 12/06/2025

विषयः– **राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (NACO) के अन्तर्गत बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति (BSACS) के द्वारा राज्य स्तर से लेकर उपकेन्द्र स्तर तक अनुबंध पर नियुक्त सभी प्रकार के पदों पर कार्यरत कर्मियों की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु होने पर उनके निकटतम आश्रित को अनुग्रह अनुदान राशि के भुगतान करने हेतु राज्यांश मद में वित्तीय वर्ष 2025–26 में बजट उपबंध में उपबंधित राशि से रु० 4,00,000/–(रुपये चार लाख) मात्र की राशि संलग्न सूची (अनुलग्नक–1) के अनुरूप व्यय निमित स्वीकृति।**

आदेशः स्वीकृत ।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक विभागीय सकल्प सख्या–157(12), दिनाक–17 02 2020 के क्रम मे कहना है कि राष्ट्रीय एड्स नियत्रण सगठन (NACO) के अन्तर्गत बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति (BSACS) के द्वारा राज्य स्तर से लेकर उपकेन्द्र स्तर तक अनुबध पर नियुक्त सभी प्रकार के पदो पर कार्यरत कर्मियों की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु होने पर उनके निकटतम प्रति आश्रित को 4 00 लाख रुपये अनुग्रह अनुदान राशि का भुगतान राज्याश मद अन्तर्गत विषय शीर्ष– 37–01 अनुग्रह अनुदान मद मे वित्तीय वर्ष 2025–26 में बजट उपबध मे उपबधित राशि रु0 10,00,00,000/– (रुपये दस करोड) मात्र मे से रु० 4,00,000/–(रुपये चार लाख) मात्र की राशि सलग्न सूची (अनुलग्नक–1) के अनुरूप किया जाना है।

2– ज्ञातव्य है कि भारत सरकार के राष्ट्रीय एड्स नियत्रण सगठन (NACO) के अन्तर्गत बिहार राज्य एड्स नियत्रण समिति (BSACS) राज्य मे एड्स के मरीजो से सबधित जागरूकता, परामर्श, जाच, बचाव, सहयोग एवं उपचार के साथ ही समाज के मुख्य धारा से जोडने सबधी प्रयास सहित चिकित्सा सेवा को सुदृढ करने हेतु राज्य स्तर से लेकर उपकेन्द्र स्तर तक विभिन्न प्रकार के पदो पर अनुबध पर कर्मियो की नियुक्ति किया जाता है, जिनका प्रतिपूर्ति मानदेय का भुगतान राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण सगठन (NACO) द्वारा आवटित राशि से किया जाता है। अतएव लोक कल्याणकारी राज्य के रूप मे सेवा अवधि के दौरान मृत्यु होने पर प्रदान की जाने वाली अनुग्रह अनुदान का भुगतान विभागीय सकल्प संख्या–157(12), दिनाक–17 02 2020 के कडिका–3 के आलोक मे विषय शीर्ष–37 01 (अनुग्रह अनुदान) से किया जायेगा।

3– स्वास्थ्य विभागीय सकल्प सख्या–157(12), दिनाक–17 02 2020 के द्वारा राष्ट्रीय एड्स नियत्रण संगठन (NACO) के अन्तर्गत आने वाले बिहार एड्स नियत्रण समिति (BSACS) के द्वारा राज्य स्तर से लेकर उपकेन्द्र स्तर तक अनुबध पर नियुक्त सभी प्रकार के पदो पर कार्यरत कर्मियो की सेवावधि के दौरान मृत्यु होने पर उनके निकटतम आश्रित को चार लाख रु० मात्र के अनुग्रह अनुदान के भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया है। कार्यरत कर्मी के विवाहित होने की स्थिति मे यह भुगतान उनके पत्नी/पति को एवं यदि विवाहित नहीं हो तो उनके माता/पिता को किया जायेगा। इन आश्रितों को अनुपलब्धता की स्थिति मे कार्यरत कर्मी के निकटतम आश्रित को भी भुगतान किया जा सकेगा। तदक्रम मे अनुलग्नक–1 के अनुरूप राज्यांश मद मे वित्तीय वर्ष 2025–26 में बजट उपबंध में उपबधित राशि से रु0 10,00,00,000/– (रुपये दस करोड) मात्र मे से रु० 4,00,000/–(रुपये चार लाख) मात्र के राशि की व्यय निमित स्वीकृति दी जाती है।

4— राज्यांश मद् की उक्त राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2025—26 मे अधोलिखित उपशीर्ष अन्तर्गत उपबधित राशि से विकलनीय होगा—

(i) माग सख्या—20, मुख्य शीर्ष—2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष—01—शहरी स्वास्थ्य सेवाए—एलोपैथी, लघु शीर्ष—200—अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ—उप शीर्ष—0309—एन0आर0एच0एम0 सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड—20-2210012000309, पी0एफ0एम0एस0 कोड—9156, विषय शीर्ष—37 01—अनुग्रह अनुदान मद मे बजट उपबध मे उपबधित राशि रु0 10,00,00,000/—(रुपये दस करोड) मात्र मे से रु० 4,00,000/—(रुपये चार लाख) मात्र विकलनीय होगा।

5— इस राशि की निकासी अवर सचिव—सह—निकासी एव व्यय पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना होगे एव नियत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाये, बिहार, पटना होगे। निकासी एव व्ययन पदाधिकारी इस राशि को निकासी कर बिहार राज्य एड्स नियत्रण समिति (BSACS) के द्वारा उपलब्ध कराये गये मृत कर्मी के निकटतम आश्रित विवरणी (अनुलग्नक—1 के अनुरूप) के आलोक मे उनके बैक खाते के माध्यम से उपलब्ध करायेगे।

6— यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभागीय परिपत्र स0—2561/वि0(2) दिनाक—17 04 1998, 2419/वि0(2) दिनाक—05 04 2007, 8593/वि0(2) दिनाक—27 11 2007, 96/वि0(2) दिनाक—03 01 2008, 3923/वि0(2) दिनाक—09 04 2010 एव अद्यतन परिपत्रो के आलोक मे निर्गत किया जा रहा है।

7— प्रारूप मे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका सख्या— 03004-07/2024-CST के पृष्ठ— 13 /टि0 पर प्राप्त है ।

8— प्रस्ताव एव प्रारूप मे अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

9— राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी ।

10— राशि की निकासी के मामले मे महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

11— एतद्संबधी आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(शंभु शरण)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापाक— 03004-07/2024-CST — 77 (7) /स्वा0, पटना, दिनाक—12/06/2025

प्रतिलिपि— सचिव, योजना एव विकास विभाग, बिहार, पटना/सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/सबधित प्रमडलीय आयुक्त/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार/सबधित जिला पदाधिकारी—सह—अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति/अवर सचिव—सह—निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि—परियोजना निदेशक, बिहार राज्य एड्स नियत्रण समिति, राज्य स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण सस्थान भवन, शेखपुरा, पटना—800014 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि—माननीय मत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/लेखा शाखा स्वास्थ्य विभाग/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव।

अनुलग्नकः–1

सेवा अवधि के दौरान कार्यरत कर्मियों के मृत्युपरान्त अनुग्रह–अनुदान हेतु उनके निकटतम आश्रित का विवरणीः–

क्रम सं०	पदधारक का नाम	पदधारक का पद के नाम	मृत्यु की तिथि	निकटतम आश्रित का नाम एव मृत व्यक्ति से सबध	अनुदान पाने वाले व्यक्ति के बैंक खाता का विवरणी			
					बैंक का नाम	बैक खाता स०	आई०एफ०एस०सी० कोड	अनुदान की राशि (रु०)
1	स्व0 मनोज कुमार उपाध्याय	परामर्शी	18 09 2021	श्रीमति सुप्रिया कुमारी (पत्नी)	HDFC बैंक	50100171772291	HDFC0000421	4,00,000/-
	कुल–							4,00,000/-

77 (7)
12/06/2025

(रुपये चार लाख) मात्र

12/6/25

सरकार के अपर सचिव ।